रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20062020-220055
CG-DL-E-20062020-220055

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 302] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 19, 2020/ज्येष्ठ 29 , 1942
No. 302] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 19, 2020/JYAISHTHA 29, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जून, 2020

सा.का.नि. 393(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 जिसमें केंद्र सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने का प्रस्ताव करती है, में और अधिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित प्रारूप कतिपय नियमों को इस अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) के द्वारा यथावश्यक इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिसकों सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं।

कोई आपत्तियां या सुझाव, जो किसी व्यक्ति से उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के भीतर प्राप्त किए जाते हैं, पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

इन प्रारूप नियमों पर आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई हों, संयुक्त सचिव (एमवीएल), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को भेजे जा सकेंगे अथवा jspb-morth@gov.in; पर ई-मेल किए जा सकेंगे।

प्रारूप नियम

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ** - (1) इन नियमों को केंद्रीय मोटर यान (.....संशोधन) नियम, 2020 कहा जा सकता है।

(2) इन नियमों में अन्यथा निहित के सिवाय, ये नियम सरकारी राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तिथि को प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय सरकार मोटर यान नियम, 1989, में, नियम 115-ए में, उप नियम 9 में तालिका 1 की तीसरी पंक्ति और दूसरे कॉलम में शब्दों, अक्षर और अंकों "1 अक्तूबर , 2020" के स्थान पर शब्दों, अक्षर और अंकों "1 अप्रैल, 2021" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[सं.आरटी-11028/22/2016-एमवीएल]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव,

टिप्पणी: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उपधारा (i) की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ), 2 जून, 1989 को प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि..... दिनांकित.....द्वारा किया गया।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th June, 2020

G.S.R. 393(E).— The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sections 110 of Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India are made available to the Public.

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period aforesaid will be considered by the Central Government.

Objections or suggestions, to these draft rules, if any, may be sent to the Joint Secretary (MVL,Transport,Toll & IT), email: jspb-morth@gov.in, Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi 110 001.

Draft Rules

1. **Short title and commencement.—** (1) these rules may be called as the Central Motor Vehicles (..... Amendment) Rules, 2020.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, in rule 115-A, in sub-rule 9, in the third row and second column of Table 1, for the words, character and figures "1st October, 2020",shall be substituted by the words, character and figure "1st April, 2021".

[No. RT-11028/22/2016-MVL]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.

NOTE.— The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended vide notification number dated.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2020.06.20 19:24:23 +05'30'